बनाम

अप्रार्थीः– तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::–

दिनांकः– 29/12/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 53 रकबा 08 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 54 रकबा 82 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बेरड़ों का बास चकरतानिया तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोमदराम दर्ज है लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम गोविन्दराम है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में गोविन्दराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है यह है कि राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी को अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने केसीसी लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 08 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 54 रकबा 82 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 रकबा 15 बीघा 16

सहायक कलक्टर, ओसियां

बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बेरड़ों का बास चकरतानिया तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोमदराम दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम गोविन्दराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोमदराम के स्थान पर गोविन्दराम दर्ज करने की अनुशंसा की।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम गोविन्दराम है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 08 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 54 रकबा 82 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बेरड़ों का बास चकरतानिया तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोमदराम के स्थान पर वास्तविक नाम गोविन्दराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 29/12/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner